न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 77/12 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2012/00088)

1. विधादेवी पत्नी स्व0 चरनसिंह पुत्री श्री हुब्बलाल जाति जाट निवासी ग्राम तांखा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर। (मृतक)
   1/1 राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 चरनसिंह
   1/2 विमलेश पुत्री स्व0 चरनसिंह पत्नी गंगाराम
   1/3 सुखवीरी पुत्री स्व0 चरनसिंह पत्नी राजपाल सिंह
   समस्त जातियान जाट निवासीयान ग्राम सातरूक तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. महेन्द्र सिंह 2. जोगेन्द्र सिंह	पुत्रगण हुब्बलाल	जातियान जाट निवासीयान ग्राम ताखा ग्राम ताखा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
3. विपिन 4. नरेश 5. नरेन्द्र	पुत्रगण महेन्द्र सिंह	

6. धर्मवीर सिंह उर्फ कर्मवीर सिंह पुत्र जोगन्द्र सिंह

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अति0 जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 9.7.2012 व सिलसिले आदेश सहायक भू प्रबन्धक अधिकारी कुम्हेर दिनांक 30.6.1984

उपस्थितिः–

1. श्री गोविन्द सिंह डागुर वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः– 11.09.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 9.7.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी कुम्हेर द्वारा दिनांक 30.6.1984 को मृतक खातेदार हुब्बलाल बल्द शोभा कौम जाट साकिन ग्राम ताखा तहसील कुम्हेर के फौत होने पर प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत ताखा के मुताबिक खातेदार हुब्बलाल का फौत होना व मौहनकौर वेवा हुब्बलाल, महेन्द्र व जुगेन्द्र पुत्र हुब्बलाल का वारिसा होना प्रकट होने पर हुब्बलाल मृतक वहक मोहनकौर वेवा हुब्बलाल, महेन्द्र व जुगेन्द्र पुत्र हुब्बलाल होना मंजूर किये जाने के आदेश दिनांक 30.06.1984 पारित किया। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी कुम्हेर के इस आदेश दिनांक 30.06.1984 को अपीलान्टा विधादेवी के द्वारा तहत अदालत अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष चुनौती दी गई। तहत अदालत अति0 जिला कलक्टर भरतपुर ने वाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश 9.7.2012 पारित किया गया, जिसमें यह अभिमत

11.9.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

व्यक्त किया गया कि हक हकूकी के अधिकार नियमित वाद से ही तय किये जा सकते हैं। इस आधार पर अपीलान्टा की अपील खारिज कर दी गई। इस आदेश के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा द्वितीय अपील अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। रैस्पोडेन्ट या उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.07.2012 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। रैस्पोडेन्टस महेन्द्रसिंह, जोगेन्द्रसिंह पिसरान हुब्बला व मौहनकौर धर्मपत्नि हुब्बलाल कौम जाट निवासी ग्राम ताखा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर द्वारा सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी कुम्हेर को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया था कि खातेदार हुब्बलाल का स्वर्गवास हो चुका है प्रार्थीगण उसके वारिसान है। उनके अलावा कोई वारिस नहीं है। रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी ने अपीलान्ट जो कि मृतक हुब्बलाल की पुत्री है को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिए बिना रैस्पोडेन्ट के हक में आदेश दिनांक 30.06.1984 के द्वारा नामान्तकरण खोले जाने का आदेश पारित किया गया है। इस आदेश की जानकारी होते ही अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत में अपील पेश की गई। इस अपील के साथ दफा – 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र तथा दफा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया था। अदालत मातहत ने बाद सुनवाई अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 96 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया तथा दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर अपीलान्ट की अपील को मियाद बाहर मानते हुए खारिज किए जाने का आदेश दिया, जो कि विधि विरूद्ध है। खातेदार हुब्बलाल की मृत्यु के समय उसके वारिसों में अपीलान्टा एवं महेन्द्रसिंह व जोगेन्द्रसिंह एवं वेवा पत्नी मौहनकोर जीवित थे लेकिन महेन्द्रसिंह व जोगेन्द्रसिंह एवं मौहनकौर द्वारा अपीलान्टा को हुब्बलाल की वारिस न मानकर अकेले तीनों का नाम दाखिल खारिज खुलवाया गया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह गलत तथ्य अंकित किए गए कि महेन्द्रसिंह व जोगन्द्रसिंह व मौहनकौर के अलावा और कोई वारिस नहीं है। अपीलान्टा को हुब्बलाल की वारिस नहीं बताया है। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी कुम्हेर द्वारा भी वारिसान के संबंध में कोई जांच नहीं की गई। जबकि विरासत का नामांतकरण खोले जाने से पूर्व सभी वारिसान की जांच किया जाना आवश्यक है। केवल मात्र रैस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र को आधार मानकर विरासत का नामान्तकरण खोला गया। इस नामांतकरण के संबंध में अपीलान्टा जो कि ग्रामीण क्षेत्र की अनपढ महिला है को कोई जानकारी नहीं हो सकी। वह यह मानकर बैठी रही कि पिता की मृत्यु के बाद सभी वारिसों के नाम दाखिल खारिज खुल गया होगा। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी कुम्हेर के आदेश की जानकारी होते ही अपीलान्ट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

11-5-2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

कर दी गई थी। इसके अलावा अवैद्य एवं शून्य प्रभाव लिए आदेशों के विरूद्ध कभी भी अपील पेश की जा सकती है, परन्तु अदालत मातहत ने इस बिन्दु पर गौर नहीं किया है। वकील अपीलान्ट ने उक्त तर्क के समर्थन में आर.आर.टी 1993 पेज 1 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार के बाहर नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। विरासत संबंधी नामान्तरकरण स्वीकृत करने का क्षेत्राधिकार सर्वप्रथम संबधित ग्राम पंचायत का है। यदि 45 दिवस में ग्राम पंचायत दाखिल खारिज नहीं करती है तो ही तहसीलदार को नामान्तरकरण तस्दीक का अधिकार है। यद्यपि उस समय बन्दोवस्त का कार्य चल रहा था लेकिन ग्राम पंचायत का अधिकार क्षेत्र समाप्त नहीं हुआ था, इसलिऐ भी अधीनस्थ अदालत का आदेश काबिल निरस्तनीय है। उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा खोले गए विरासत के नामान्तकरण को सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा 45 दिन के पूर्व ही तस्दीक किया गया जो कि नियम विरूद्ध है। इसके अलावा सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा विरासत के संबंध में किसी प्रकार की कोई जांच किए बिना नामांतकरण स्वीकत किया है, जो कि विधि विरूद्ध है। वकील अपीलान्ट ने इस तर्क के समर्थन में 2003 (1) आर.आर.टी पेज 596 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया। अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय में यह भी उल्लेख किया है कि विवादित आराजी के बाबत नियमित राजस्व वाद विचाराधीन है। अतः अपीलान्टा यदि मृतक की पुत्री है तो उसके हक स्वतः नियमित वाद में तय हो सकते हैं। अदालत मातहत का उक्त अभिमत भी उचित नहीं है, क्योंकि नियमित वाद की कार्यवाही व दाखिल खारिज की कार्यवाही अलग–अलग है तथा दोनों का स्कोप भी अलग–अलग है। विरासत के आधार पर दाखिल खारिज की कार्यवाही अथवा नियमित वाद विचाराधीन होने के कारण रोका नहीं जा सकता। इस तर्क के समर्थन में वकील अपीलान्ट ने 2008 (2) आर.आर.टी पेज 936 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया। रैस्पोडेन्ट का यह कहना कि अपीलान्टा हुब्बलाल की पुत्री नहीं है। इस तथ्य को अपीलान्टा द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध कर दिया गया था। जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र 96 सी.पी. सी के संबंध में पारित निर्णय में वर्णित तथ्य से हो रही है कि अपीलान्टा मृतक हुब्बलाल की पुत्री है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि खातेदार की मृत्यु के बाद पुत्र, पुत्रियों व पत्नि को समान अधिकार प्राप्त है। इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। इस तर्क के समर्थन में वकील अपीलान्ट ने 2003 आर.आर.डी पेज 550 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा एक ओर तो अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को मियाद संबंधी बिन्दु पर खारिज किया गया और दूसरी ओर अपीलाधीन निर्णय में अपीलाधीन आदेश के गुणावगुण पर विचार किया है, जो कि विरोधाभासी है। अदालत मातहत द्वारा सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी की ओर से पारित आदेश दिनांक 30.06.1984 के गुणावगुण पर विचार नहीं कर केवल मात्र यह उल्लेख किया है कि अपीलान्ट द्वारा अपील 28 वर्ष बाद

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

11-9-2013
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

पेश की गई है, जो मियाद बाहर है तथा विवादित आराजी की बाबत अपीलान्टा के द्वारा नियमित राजस्व वाद विचाराधीन है। यदि अपीलान्ट मृतक की पुत्री है तो उसके हक/स्वत्व नियमित वाद में तय हो सकते हैं। जबकि मियाद के बिन्दु को तय करने से पूर्व प्रकरण के गुणावगुण पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में वकील अपीलान्ट द्वारा 2001 आर.बी.जे पेज 608, आर.बी.जे 2002 पेज 304, आर.बी.जे 2002 पेज 381 व आर.बी.जे 2017 पेज 274 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का हवाला दिया। इसी प्रकार 2011 (1) आर.आर.टी पेज 602 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि मियाद के बिन्दु पर लिवरल रूख अपनाना चाहिए। तकनीकी बिन्दु पर किसी पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। अतः उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.07.2012 व सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी कुम्हेर का आदेश दिनांक 30.06.1984 निरस्त किया जाकर विवादित भूमि में वारिस के रूप में अपीलान्टा का नाम दर्ज किए जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली व वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में सन्दर्भित नजीरों का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलान्टा की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में प्रस्तुत अपील में सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी कुम्हेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.1984 को निरस्त किए जाने हेतु अपील प्रस्तुत की थी, जिसके साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व सी.पी.सी की धारा 96 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए थे। इन प्रार्थना पत्रों को विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 09.07.2012 को निर्णित किया गया। जिसमें अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत सी.पी.सी की धारा 96 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया तथा अपीलान्टा की ओर से प्रस्तुत अपील को मियाद बाहर मानकर खारिज किए जाने का आदेश पारित किया गया। इसके अलावा दिनांक 09.07.2012 को ही पृथक से अपीलाधीन निर्णय भी पारित किया गया। जिसमें यह उल्लेख किया गया कि न्यायहित में प्रकरण के गुणावगुण पर भी विवेचन करना उचित समझते हैं। इसमें अपीलान्ट की ओर से वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए यह माना है कि अपीलान्टा द्वारा 28 वर्ष बाद अपील पेश की गई है तथा विवादित आराजी के संबंध में नियमित राजस्व वाद विचाराधीन है। अपीलान्ट यदि मृतक की पुत्री है तो उसके हक/स्वत्व नियमित वाद में ही तय हो सकते हैं। नामान्तकरण की अपील में अधिकार/स्वत्व तय नहीं हो सकने का उल्लेख करते हुए अपीलान्टा की अपील मियाद बाहर व सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने का आदेश दिया है जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर ने यद्यपि अपीलाधीन निर्णय में प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किए जाने का उल्लेख किया है, परन्तु अपीलान्टा की ओर से सी.पी.सी के आदेश 41 नियम 27 के तहत प्रस्तुत किए गए दस्तावेजात के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवेचन अपीलाधीन निर्णय में नहीं किया। इसी प्रकार

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

11-9-2023

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्टा की ओर से मीमो आफ अपील में वर्णित विधिक बिन्दु यथा मृतक खातेदार के वारिसान के संबंध में जांच करने, 45 दिन तक नामांतकरण को तस्दीक करने की क्षेत्राधिकारिता ग्राम पंचायत में निहित होने, विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति होने के कारण जन्म से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के संबंध में किसी प्रकार का कोई अभिमत अपीलाधीन निर्णय में नहीं दिया गया। यद्यपि यह उल्लेख अवश्य किया है कि विवादित आराजी के बाबत अपीलान्टा के द्वारा नियमित राजस्व वाद विचाराधीन है। अपीलान्टा यदि मृतक की पुत्री है तो उसके हक/स्वत्व नियमित वाद में ही तय हो सकते हैं। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर का उपरोक्त अभिमत वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में संदर्भित नजीर 2008 (2) आर.आर.टी पेज 936 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त की वाद का विचाराधीन होना नामान्तकरण पर बाध्य नहीं है। इसी तरह 2003 आर.आर.डी 550 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त कि खातेदार की मृत्यु के बाद पुत्र–पुत्रियों एवं पत्नि को समान अधिकार हैं, के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर ने नामान्तकरण खोले जाने के 45 दिन तक नामान्तकरण तस्दीक करने हेतु ग्राम पंचायत के सक्षम होने के कारण उक्त अवधि से पूर्व सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा स्वीकृत किए गए नामान्तकरण के संबंध में भी किसी प्रकार का कोई अभिमत अपीलाधीन निर्णय में नहीं दिया है। जबकि 2003 (1) आर.आर.टी पेज 596 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार नामान्तकरण भरे जाने के 45 दिन तक नामान्तकरण तस्दीक किए जाने का अधिकार ग्राम पंचायत में निहित है, के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। जहां तक वकील अपीलान्ट की ओर से मियाद के बिन्दु के संबंध में प्रस्तुत विभिन्न नजीरें यथा 2001 आर.बी.जे पेज 608, आर.बी.जे 2002 पेज 304, आर.बी.जे 2002 पेज 381, आर.बी.जे 2017 पेज 274, 2011 (1) आर.आर.टी पेज 602 व आर.आर.टी 1993 पेज 1 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त उल्लेखनीय है। जिनके अनुसार मियाद के बिन्दु को तय करने से पूर्व प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किया जाना, तकनीकी बिन्दुओं पर अपील खारिज नहीं किए जाने तथा अवैद्य व शून्य प्रभाव लिए हुए आदेश की अपील कभी भी किए जा सकने का प्रश्न है तो उक्त सिद्धान्तों से हम सादर सहमत हैं, परन्तु उक्त प्रकरण में अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर ने अपीलान्ट की अपील मियाद संबंधी बिन्दु के साथ–साथ गुणावगुण के आधार पर भी निस्तारित किए जाने का उल्लेख अपीलाधीन निर्णय में किया है। इसलिए उक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में सी.पी.सी के आदेश 41 नियम 27 सहपठित धारा 80 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न न्यायालय विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भरतपुर की ओर से आपराधिक प्रकरण संख्या 219/2012 सरकार बनाम महेन्द्र सिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2022 में अपीलान्टा को मृतक हुब्बलाल की पुत्री मानकर रैस्पोडेन्ट को आई.पी.सी की धारा 420, 467, 468, 471 में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध घोषित किया है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 09.07.2012 व सहायक

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

11-5-2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

भू प्रवन्ध अधिकारी कुम्हेर की ओर से पारित आदेश दिनांक 30.06.1984 जो कि रैस्पोडेन्ट के आवेदन पर जारी किया गया है, को उचित नहीं कहा जा सकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.07.2012 व सहायक भू प्रवन्ध अधिकारी कुम्हेर की ओर से पारित आदेश दिनांक 30.06.1984 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार कुम्हेर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण के सभी हितवद्ध पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के वाद विवादित भूमि के संवंध में विरासत के वारे में विस्तृत जांच कर पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 11.09.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर